अता० प्रश्न क्र० 517 [25/2/2021] परिशिष्ट - 'क'

प्रश्न सं. [क्र. 517]

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायसेन (म0प्र0)

क्रमांक /　　　/ खनिज / 2017　　　　　　　　　　रायसेन,दिनांक

:: आदेश ::

प्रति,

श्री नीलश चौहान आ0 श्री गणेश सिंह पटेल
निवासी –पटेल चौक, बकतरा, पोरट बकतरा
तह0 बुधनी, जिला सीहोर

विषयः– ग्राम गुंदरई, तहसील रायसेन, खसरा कमांक 140/1/2, 140/1/3 एवं 140/1/4 रकबा 3.000 हे0 क्षेत्र पर केशर द्वारा गिट्टी निर्माण हेतु पत्थर उत्खनि पट्टा स्वीकृति बावत्।

संदर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2014

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत संदर्भित आवेदन पत्र के तारतम्य में प्राप्त जॉच प्रतिवेदनो के आधार पर संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म का आदेश कमांक 18976–80 दिनांक 26.10.17 से विषयांकित क्षेत्र पर प्रस्तुत आवेदित क्षेत्र रकबा 3.000 हे0 स्वीकृति हेतु उपलब्ध होने पर सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किया गया था। सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश के पालन में अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत कर दी है ।

अतः आपके पक्ष में ग्राम गुंदरई, तहसील रायसेन, खसरा कमांक 140/1/2, 140/1/3 एवं 140/1/4 रकबा 3.000 हे0 क्षेत्र पर निम्नालिखित शर्तो पर पत्थर केशर हेतु म0 प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18 (2) के अन्तर्गत उत्खनि पट्टा 10 वर्ष हेतु स्वीकृत किया जाता है :–

1	रायल्टी	म0 प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 29 के अधीन अनुसूची 3 में दिये गये अनुसार प्रति घन मीटर देय होगा।
2	स्वीकृत क्षेत्र	ग्राम गुंदरई, तहसील रायसेन, खसरा कमांक 140/1/2, 140/1/3 एवं 140/1/4 रकबा 3.000 हे0
3	खनिज का नाम	पत्थर उत्खनन कर केशर द्वारा गिट्टी निर्माण कर विकय करने हेतु।
4	अवधि	10 वर्ष (दिनांक 26.10.2017 से 25.10.2027 तक)
5	नियत कर	मृतकर (डेडरेंट) म0प्र0 गौण खनिज 1996 के नियम 29 के अधीन अनुसूची 4 में दिये गये प्रावधान अनुसार लागू होगा।
6	सरफेस रेन्ट	रूपये 5/– प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष के मान से देय होगा।
7	सुरक्षा निधि एंव अन्य राशि	म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 25(1) अनुसार सुरक्षा निधि राशि रूपये 1000/–, सीमॉकन शुल्क रूपये 100/– मानचित्र शुल्क रूपये 100/– चालान द्वारा जमा कराकर प्रस्तुत करना होगा।
8	स्टाम्प शुल्क, गणना हेतु वार्षिक रायल्टी	औसत वार्षिक रायल्टी रूपये 15,90,000/– (माईनिंग प्लान) के आधार पर देय होगी।
9	प्रतिभू– वध पत्र	म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 25(2) अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये दो लाख चालीस हजार मात्र की जमानत भरकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
10	वित्तीय प्रतिभूति	म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 42 (6) (क) के अनुरूप रूपये 45000 की वित्तीय प्रतिभूति किसी अधिसूचित बैंक से बैंक गारंटी, फिक्स डिपोजिट अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेटके रूप में प्रस्तुत करना होगा
11	खनिज निकासी	म0 प्र0 गौण खनिज नियम 29(7) के अनुसार प्रारूप 9 में होगी।
12	खनन योजना	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार कार्य करना होगा।
13	मासिक/त्रैमा0/	म0प्र0 गौण खनिज नियम 96 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में नियत तिथि

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश ... खनिज,

	अर्द्ध0 / वार्षिक पत्रक	को प्रस्तुत करना होगा
14	भू– परिमाप	थेरोलाइट सर्वे यदि आवश्यक हो तो।
15	सीमॉकन व पक्के	स्वीकृत क्षेत्र का मौके पर सीमॉकन व पक्के मुनारें स्थापित रखना होगा
16	पर्यावरण स्वीकृति एंव प्रदूषण पर नियंत्रण	खनिज दोहन कार्य के पूर्व पर्यावरण अनापत्ती (सिया) की अनुमति तथा जल एवं वायु सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
17	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत	वन सीमा से नियमानुसार 250 मीटर की दूरी पर छोडकर स्वीकृत क्षेत्र में ही उत्खनन करना होगा। स्वीकृत क्षेत्र से 1 कि0 मी0 के अन्दर यदि अवैध उत्खनन कार्य होता है तो इसकी सूचना देने का उत्तरदायित्व आपका होगा।
18	अन्य शर्ते	अन्य समस्त शर्ते म0 प्र0 गौण खनिज 1996 एवं निष्पादित अनुबंध अनुसार मान्य होगी।

यदि उपरोक्त शर्ते मान्य हो तो पट्टा स्वीकृति दिनांक से तीन माह के अंदर म0 प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 26 के अनुसार प्रारूप –7 में उत्खनि पट्टा विलेख निष्पादित कराया जाकर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जाये। यदि समस्त औपचारिकताए उपरोक्त कालावधि में नही की जाती है तो यह आदेश प्रतिसंहृत किया गया समझा जावेगा।

//संचालक, महोदय द्वारा आदेशित//

सहायक खनिज अधिकारी
जिला–रायसेन

पृ0क्र0/1213 /खनिज/2017

रायसेन दिनांक 15/11/17

प्रतिलिपि:–

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म की ओर आपके आदेश कमांक 18976–80 दिनांक 26.10.17 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी सामान्य रायसेन जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी रायसेन की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार रायसेन की ओर सूचनार्थ।
5. खनिज निरीक्षक रायसेन की ओर सूचनार्थ।
6. सरपंच ग्राम पंचायत .... जिला–रायसेन।
7. क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनु... मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग

सहायक खनिज अधिकारी
जिला–रायसेन

Nair-Order